कैबिनेट समितियाँ क्यों बनाई जाती हैं, प्रत्येक के कार्य क्या हैं

लेखक - प्रदीप कौशल (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र- II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

7 जून, 2019

"केंद्र सरकार ने आठ कैबिनेट समितियों की रचना की है, जिनमें दो नई हैं - एक निवेश पर और दूसरी, रोजगार एवं कौशल विकास पर।"

गुरुवार को, केंद्र सरकार ने आठ कैबिनेट समितियों की रचना जारी की, जिनमें दो नई थीं - एक निवेश पर, दूसरी, रोजगार और कौशल विकास पर। इस आलेख में समझेंगे कि ये कैबिनेट समितियाँ क्यों बनाई जाती हैं और इनके कार्य क्या हैं?

व्यापार का लेन-देन

कार्यपालिका, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के तहत कार्य करती है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद-77 (3) से आये हैं, जिसमें कहा गया है कि "राष्ट्रपति, भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक आवंटन के लिए एवं उनके क्रियान्वयन के लिए नियम बनाएंगे। 'यह नियम किसी विभाग (मंत्रालय) के प्रभारी मंत्री को, उसे या उसके अधीन विभाग को आवंटित' सभी व्यवसाय के निपटान के लिए आदेश देता है।

हालांकि, 'जब कोई मामला एक से अधिक विभागों से संबंधित हो', तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता 'जब तक कि ऐसे सभी विभागों से सहमति नहीं मिल जाती या इस तरह की सहमति को विफल करते हुए, कैबिनेट के अधिकार के तहत या उसके बाद एक निर्णय लिया जाए।'

प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन करते हैं और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करते हैं। वह समितियों की संख्या को बढ़ा या कम कर सकते हैं।

मंत्रियों के समूह सहित मंत्रियों की तदर्थ समितियाँ, मंत्रिमंडल द्वारा या विशिष्ट मामलों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की जा सकती हैं।

मुख्य समितियाँ

अप्वॉइंटमेंट: गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित आठ पैनल में सबसे महत्वपूर्ण 'नियुक्ति पर कैबिनेट समिति' है। यह पैनल- सैन्य संचालन महानिदेशक, सभी सेना प्रमुखों के प्रमुखों, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक, आयुध कारखानों, रक्षा संपदा के महानिदेशक, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के निदेशक, सॉलिसिटर-जनरल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सचिवालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी और केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के पदों पर नियुक्तियाँ करता है। यह समिति सभी महत्वपूर्ण मनोनयन और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण पर निर्णय लेती है।

आवास: आवास पर कैबिनेट समिति सरकारी आवास के आवंटन के संबंध में दिशा निर्देश या नियम निर्धारित करती है। यह गैर-पात्र व्यक्तियों और संगठनों को सरकारी आवास के आवंटन पर भी विचार करती है। यह जनरल पूल से संसद के सदस्यों को आवास के आवंटन पर विचार कर सकती है। यह मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यालयों को राजधानी के बाहर के स्थानों में स्थानांतरित करने के प्रस्तावों पर भी विचार कर सकती है।

आर्थिक मामले: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति आर्थिक रुझान, एक सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति को विकसित करने के लिए समस्याओं और संभावनाओं पर समीक्षा, उच्चतम स्तर पर नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता वाली सभी गतिविधियों का समन्वय, कृषि उपज की कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण पर समीक्षा कर सकती है। यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों से निपटने और ग्रामीण विकास तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करने के प्रस्तावों पर विचार करती है।

संसदीय मामले: संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति संसद सत्रों के लिए समय-सारणी तैयार करती है और संसद में सरकारी व्यवसाय की प्रगति की निगरानी करती है। यह गैर-सरकारी व्यवसाय की छानबीन करती है और यह तय करती है कि कौन से सरकारी विधेयकों और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना है।

राजनीतिक मामले: राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं को संबोधित करती है। यह आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की भी जांच करती है, जिनके लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कोई आंतरिक या बाहरी सुरक्षा निहितार्थ नहीं होती है।

सुरक्षा: सुरक्षा पर कैबिनेट समिति कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और नीति संबंधी मामलों में आंतरिक या बाहरी सुरक्षा निहितार्थ वाले विदेशी मामलों को संबोधित करती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से भी संबंधित है। यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी रक्षा व्यय से जुड़े सभी मामलों पर विचार करती है। यह रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, सेवा पूंजी अधिग्रहण योजनाओं एवं सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

नया पैनल

निवेश: निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति 'समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं की पहचान करेगा', जिसमें 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश शामिल होंगे या कोई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जो कि बुनियादी ढांचे और विनिर्माण द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। यह चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगी। यह इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी भी करेगी।

रोजगार: रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति 'तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों की मैपिंग के लिए कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास के लिए सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों को दिशा प्रदान करेगी।'

कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना, रोजगार के विकास और पहचान को बढ़ावा देना तथा विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच अंतराल को हटाने की दिशा में काम करना आवश्यक है। पैनल मंत्रालयों द्वारा सभी कौशल विकास पहलों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा और समय-समय पर इस संबंध में हुई प्रगति की भी समीक्षा करेगा।

दो नई समितियों को जोड़ना सरकार के लिए नए फोकस क्षेत्रों का सूचक है। हालांकि, दोनों क्षेत्रों का लक्ष्य नए रोजगार का निर्माण करना है।

कैबिनेट समितियों का गठन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने आठ कैबिनेट समितियों का गठन किया है।
- सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश और विकास पर तथा बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार एवं कौशल विकास पर समितियों गठित की है।सुरक्षा पर भी समिति का गठन किया गया है।
- सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में घटकर 5.8 प्रतिशत पर आ गयी, थी जो बीते पांच साल में न्यूनतम है।
- जीडीपी की सालाना वृद्धि दर भी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 6.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी, जबकि सरकार ने 7.2 प्रतिशत का लक्ष्य रखा था। वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी 3.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी है।
- देश में बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत हो गई है जो बीते 45 साल में सर्वाधिक है।

आठ कैबिनेट समितियाँ इस प्रकार हैं

- **अप्वॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट:** अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का कंपोजीशन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास रहेगा।
- **कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन:** इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहेंगे।
- इसके अतिरिक्त इस कमेटी में विशेष तौर पर जितेंद्र सिंह और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी शामिल किया गया है।
- **कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स:** कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डीवी सदानंद गौड़, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, रवि शंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, डॉ.एस जयशंकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।
- **कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स:** इस कमेटी में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर और प्रहलाद जोशी को शामिल किया गया है। कमेटी में विशेष तौर पर अर्जुन राम मेघवाल एवं वी मुरलीधरन को भी शामिल किया गया है।
- **कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स:** कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, डॉ. हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, अरविंद सावंत और प्रहलाद जोशी को शामिल किया गया है।
- **कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी:** कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस.जयशंकर हैं।
- **कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ:** कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त जिन मंत्रियों को जगह दी गई है उनमें अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल शामिल हैं।
- **कैबिनेट कमेटी ऑन इम्पलॉयमेंट एण्ड स्किल डेवलेपमेंट:** इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्र नाथ पांडे, संतोष कुमार गंगवार और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं।
- इसमें खास तौर पर नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी और प्रहलाद सिंह पटेल को शामिल किया गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए**

   1. कार्यपालिका, भारत सरकार कार्य आबंटन नियम, 1961 के अन्तर्गत कार्य करती है।
   2. हाल ही में निवेश एवं रोजगार के क्षेत्र में दो कैबिनेट समितियां बनायी गयी हैं।
   3. प्रधानमंत्री समितियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

Q. Consider the following statements-

1. Executive works under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.
2. Recently two cabinet committees have been formed in the investment and employment sectors.
3. Prime Minister can increase the number of committees but cannot reduce it.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2
(b) Only 2
(c) 1 and 3
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा गठित कैबिनेट समितियों में दो नई समितियों का गठन किया गया है, जो मुख्यतः निवेश और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेंगी। समितियाँ अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल होंगी? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Recently the Union government has formed two new committees under cabinet committees which will mainly work in the investment and employment sector. To what extent these committees will be successful in attaining their goals? Discuss. (250Words)

नोट : 6 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Comi